


19/11/2020 पराजली पेश डेव। वकील उमजपडा उपा.  
 व उमजली प्रकरण मजमत करत मजती.  
 खण्ड 131(6) से स्पष्ट कि वरुद मजमत  
 करत मजती मीना निवासी समेल इत्य  
 न्यायालय द्वारा पूर्व से 21-1-2016 अंकि  
 डिमी होयका है। इसलिये उक्त प्रकरण  
 (सिधन 5.11 C.A.E) के ऊपर प्रमाण  
 के सिद्धांत लागू होते हैं (5.11.0.A.E.)  
 से यह सिद्धांत परिवर्तित किया गया  
 है कि इसी खण्ड 136 व खण्ड 135  
 उक्त प्रविष्टा वरुद मजमत समेल इत्य  
 डिमी निवासी उक्त है। तो प्रकरण खण्ड 11 से  
 प्रभावित है। प्रमाण, न्याय के सिद्धांत उक्त  
 मजमत 11 C.A.E से उक्त खण्ड निवा  
 जाता है। पराजली वरुद मजमत इत्य  
 उक्त है।

  
 उमजपडा उपा.  
 मीना निवासी